**Subsidy on Expenditure incurred in Research & Development for Food Processing industrial units**

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम– 2004

1. **संक्षिप्त नाम–** ये नियम मध्यप्रदेश राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शोध एवं अनुसंधान हेतु अनुदान नियम– 2004 कहलायेंगे।

2. **उददेश्य–** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त तकनीकों के उन्नयन हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

3. **प्रयोज्यता एवं अवधि** – ये नियम दिनांक 1 अप्रेल, 2004 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रवृत रहेंगे एवं संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रयोज्य होंगे।
4. **परिभाषा** –

**अ– खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयां** – से अभिप्रेत है ऐसी समस्त औद्योगिक इकाईयां, जो खाद्य पदार्थों के सभी प्रक्षेत्र यथा फल एवं सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, मांस, कुक्कुट, मत्स्य, खाद्यान्न, दालें, तिलहन एवं ऐसी अन्य कृषि–उद्यानिकी क्षेत्र की खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मूल्य संवर्धन तथा शैल्फ (Shelf) लाईफ में अभिवृद्धि होती हो, जिसमें खाद्य पदार्थों की सुगंध एवं रंग, आलियोरेजिन्स, मसाले, नारियल, मशरूम, हॉप्स आदि भी सम्मिलित हैं।

**ब– शोध एवं अनुसंधान** – से अभिप्रेत ऐसे शोध एवं अनुसंधान कार्य से है, जो इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु निम्न सभी या किसी एक उददेश्य की प्राप्ति हेतु किया गया हो –

- सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, संवेष्टन(packing) एवं भण्डारण (storage) से संबंधित प्रोद्योगिकीयों का उन्नयन, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त हो सकें।
- मध्यवर्ती एवं अंतिम खाद्य उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विकास, जिसमें प्रोटोटाईप उपकरण/पायलट संयंत्रों का प्रारूप एवं निर्माण सम्मिलित है।
- खाद्यान्न एवं खाद्यान्न आधारित उत्पादों का पोष्टिकीकरण (Fortification), जिससे जनसामान्य विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में अभिवृद्धि हो सके एवं इसकी अनुमोदित की जाने वाली मात्रा

का प्रकरणवार निर्धारण, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा ।

- देश के विभिन्न क्षेत्रों के परम्परागत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास।
- घरेलू एवं निर्यात दोनों प्रयोजनों हेतु परम्परागत एवं सामान्य खाद्यान्नों, दुग्ध उत्पादों आदि पर आधारित खाद्य पदार्थों के परिरक्षण (Preservation) एवं संवेष्ठन (Packaging) हेतु अर्थक्षम नवीन प्रोद्योगिकीयों का विकास एवं ऐसे उत्पादों के उत्पादन हेतु संयंत्रो का प्रारूपण एवं विकास तथा ऐसी नवीन कम लागत की तकनीको एवं संयंत्रो का विकास।
- ऐसे उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपकरणों की डिजाईन का विकास, नवीन सस्ती संवेष्ठन तकनीकों एवं उपकरणों का विकास, विद्यमान संवेष्ठन की पद्धतियों, पदार्थ प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रचलित पद्धतियों का विश्लेषण कर उनके उन्नयन हेतु किये जाने वाले अनुसंधान।
- मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निर्देशानुसार शोध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्देशित शोध, जो संवेष्ठन/प्रसंस्करण हेतु कम लागत के स्वदेशी प्रोद्योगिकी का विकास, जिससे विभिन्न खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन हो सके।

- मांस एवं मांस के उत्पादों के विभिन्न कारकों का मानकीकरण जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल मानक, परिरक्षण मानक, एडीटिव्स, कीटनाशक अवशिष्ट आदि, एवं इस पर आधारित वाणिज्यिक महत्व के मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास।

**स– निर्मित उत्पाद** – से अभिप्रेत ऐसे उत्पादों से है, जो औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुतः उत्पादित किये जा रहे हों एवं संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दिये गये पंजीयन प्रमाण पत्र के अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप हों।

**5– पात्रता** –

इस अनुदान की पात्रता उन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को होगी, जो इन नियमों की कंडिका 4 (अ) में वर्णित है एवं जिन्होंने दिनांक 01.04.2004 को अथवा इसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो तथा इन नियमों की कंडिका 4 (ब) में निहित किसी एक या अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शोध एवं अनुसंधान कार्य किया हो अथवा केन्द्र शासन या राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित किसी शोध एवं अनुसंधानकारी संस्था,जिन्हे शासन व्दारा अधिसूचित किया गया हो ।

जो इकाईयां शोध एवं अनुसंधान कार्य स्वयं करेंगी, उन्हें अपनी प्रयोगशाला एवं अनुसंधानकर्ता की इंगित शोध एवं अनुसंधान हेतु सक्षमता तथा किये गये शोध एवं अनुसंधान कार्य का अभिप्रमाणन मध्यप्रदेश कॉउंसिल ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी या केन्द्र शासन/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित शोध एवं अनुसंधान केन्द्र
जिन्हें उधोग विभाग व्दारा समय समय पर अधिसूचित ि

**6– अनुदान की सीमा** – इन नियमों की कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को, उनके द्वारा शोध एवं अनुसंधान में किये गये व्यय का 10 प्रतिशत, अधिकतम रूपये एक लाख तक, के अनुदान की पात्रता होगी।

**7– प्रक्रिया** –

**(अ)** पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वयं शोध एवं अनुसंधान कार्य करने की दशा में, कंडिका क्रमांक 5 में वर्णित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे एवं शोध एवं अनुसंधान कार्य में हुए व्यय को चार्टर्ड एकाउंटन्ट द्वारा सत्यापित करावेंगे।

**(ब)** किसी अन्य संस्था द्वारा कराये गये शोध कार्य पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटन्ट से करावेंगे।

**(स)** इस अनुदान हेतु पात्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उपरोक्त प्रमाण–पत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

**(द)** संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन आवेदन–पत्रों को पंजीबद्ध कर आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस में पात्रता का परीक्षण एवं सत्यापन कर अनुदान स्वीकृति आदेश प्रसारित करेंगे।

8– इन नियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुए भी इन अनुदानों से संबंधित किसी भी दावे को मान्य अथवा अमान्य करने का अंतिम अधिकार उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को होगा।